



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020

अग्रहायण 6, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2069/79-वि-1-2020-2(क)-22-2020

लखनऊ, 27 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2020) जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें 2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में,-

(क) "प्रलोभन" का तात्पर्य

(एक) नगद या वस्तु के रूप में किसी उपहार, परितोषण, सुलभ धन या भौतिक लाभ;

(दो) रोजगार, किसी धार्मिक निकाय द्वारा संचालित प्रतिष्ठित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा; या

(तीन) बेहतर जीवन शैली, दैवी अप्रसाद या अन्यथा के रूप में प्रलोभित करने के प्रस्ताव से है और उसमें वे सम्मिलित हैं;

(ख) "प्रपीड़न" का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक दबाव या भौतिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करने से है, जिसमें शारीरिक क्षति या धमकी सम्मिलित है;

(ग) "धर्म संपरिवर्तन" का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा स्वधर्म का त्याग करने और अन्य धर्म को ग्रहण करने से है;

(घ) "बल" में धर्म संपरिवर्तित या धर्म संपरिवर्तित होने हेतु इप्सित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये बल प्रदर्शित करना या किसी प्रकार की क्षति की धमकी देना सम्मिलित है;

(ङ) "कपटपूर्ण साधन" में किसी प्रकार का प्रतिरूपण, मिथ्या नाम, उपनाम, धार्मिक प्रतीक या अन्यथा द्वारा प्रतिरूपण किया जाना सम्मिलित है;

(च) "सामूहिक धर्म संपरिवर्तन" का तात्पर्य जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति धर्म संपरिवर्तित किये जायं, से है;

(छ) "अवयस्क" का तात्पर्य अटारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति से है;

(ज) "धर्म" का तात्पर्य भारत में या उसके किसी भाग में प्रचलित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या परम्परा के अधीन यथा परिभाषित पूजा पद्धति, आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली की किसी संगठित प्रणाली से है;

(झ) "धर्म परिवर्तक" का तात्पर्य किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति से है, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का कोई कार्य सम्पादित करता है और जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, यथा पादरी, कर्मकाण्डी, मौलवी या मुल्ला इत्यादि;

(ञ) "असम्यक असर" का तात्पर्य ऐसे असर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने हेतु अन्य व्यक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अंतःकरण के विरुद्ध प्रयोग करने या अन्य व्यक्ति पर असर डालने से है;

(ट) "विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन" का तात्पर्य ऐसे किसी धर्म संपरिवर्तन से है, जो देश की विधि के अनुसार न हो।

3-कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग या पद्धति द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा रूप में एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तित नहीं करेगा/करेगी या संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा/करेगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे धर्म संपरिवर्तन के लिये उत्प्रेरित करेगा/करेगी, विश्वास दिलायेगा/दिलायेगी या षडयंत्र करेगा/करेगी :

दुर्व्यपदेशन, बल, कपट, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का प्रतिषेध

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व धर्म में पुनः संपरिवर्तन करता है/करती है, तो उसे इस अध्यादेश के अधीन धर्म संपरिवर्तन नहीं समझा जायेगा।

4-कोई व्यथित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहिन या ऐसा कोई व्यक्ति, जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित हो, ऐसे धर्म संपरिवर्तन, जिससे धारा 3 के उपबंध का उल्लंघन होता हो, के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है/सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम व्यक्ति

5-(1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जाएगी, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पन्द्रह हजार रुपये से कम नहीं होगा:

धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दण्ड

परन्तु यह कि जो कोई किसी अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जायेगी जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा/की जाएगी जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चास हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(2) न्यायालय उक्त धर्म संपरिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा संदेय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम पांच लाख रुपये तक हो सकता है जो जुर्माना के अतिरिक्त होगा।

(3) जो कोई इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध का पूर्व में सिद्ध दोष ठहराये जाने पर इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जायेगा/जायेगी वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दण्ड का दायी होगा/होगी जो इस अध्यादेश के अधीन तदनिमित्त प्रदान किये गये दण्ड के दो गुना से अधिक नहीं होगा।

6-विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से या विपर्ययेन एक धर्म के पुरुष द्वारा अन्य धर्म की महिला के साथ विवाह के पूर्व या पश्चात् या तो स्वयं का धर्म संपरिवर्तन करके या विवाह के पूर्व या पश्चात् महिला का धर्म संपरिवर्तन करके किया गया विवाह, विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा या जहाँ कुटुम्ब न्यायालय स्थापित न हो, वहाँ ऐसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जायेगा :

विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से किया गया विवाह या विपर्ययेन शून्य घोषित होगा

परन्तु यह कि धारा 8 एवं 9 के समस्त उपबन्ध ऐसे किये जाने वाले विवाहों पर लागू होंगे।

अपराध गैर  
जमानतीय और  
संज्ञेय होंगे

7-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्यादेश के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

धर्म संपरिवर्तन के  
पूर्व घोषणा और  
धर्म संपरिवर्तन के  
सम्बंध में पूर्व  
रिपोर्ट

8-(1) अपना धर्म संपरिवर्तन करना चाहने वाले/वाली व्यक्ति को कम से कम साठ दिवस पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुसूची-एक में विहित प्रपत्र में यह घोषणा करनी होगी कि वह स्व आधार पर और अपनी स्वतंत्र सहमति से तथा बिना किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक् असर या प्रलोभन के अपना धर्म संपरिवर्तन करना चाहता है/चाहती है।

(2) धर्म परिवर्तक, जो किसी व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में संपरिवर्तित करने के लिए अनुष्ठान सम्पादित करेगा, ऐसे संपरिवर्तन के सम्बंध में अनुसूची-दो में विहित प्रपत्र में नोटिस, जिला मजिस्ट्रेट या उस जिला, जहाँ ऐसे अनुष्ठान सम्पादित किया जाना प्रस्तावित हो, के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न किसी अन्य अधिकारी को एक माह पूर्व देगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) और (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के सम्बंध में पुलिस के माध्यम से जांच सम्पादित करायेगा।

(4) उपधारा (1) और/या उपधारा (2) का उल्लंघन किये जाने पर प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन किये जाने का प्रभाव अवैध तथा शून्य हो जायेगा।

(5) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जायेगी जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(6) जो कोई उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जायेगी जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

पश्च धर्म  
संपरिवर्तन की  
घोषणा

9-(1) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति को अनुसूची-तीन में विहित प्रपत्र में धर्म संपरिवर्तन के दिनांक से साठ दिवस के भीतर उस जिला, जिसमें धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति सामान्यतः निवास करता/करती हो, के जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा प्रेषित करनी होगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा की एक प्रति, पुष्टि किये जाने के दिनांक तक कार्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करनी होगी।

(3) उक्त घोषणा में अपेक्षित विवरण अर्थात् धर्म संपरिवर्तन की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी यथा धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति की जन्मतिथि, स्थायी पता और वर्तमान निवास स्थान, पिता/पति का नाम, धर्म, जिससे धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति मूलतः सम्बन्धित है और धर्म, जिसमें उसने धर्म संपरिवर्तन किया हो/की हो, धर्म संपरिवर्तन का दिनांक तथा स्थान और धर्म संपरिवर्तन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया की प्रकृति।

(4) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति को घोषणा प्रेषित करने/दाखिल करने के दिनांक से 21 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी और घोषणा की विषयवस्तु की पुष्टि करनी होगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा के तथ्य को, इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर में अभिलिखित करके पुष्टि करनी होगी। यदि कोई आपत्तियां संज्ञान में लायी जाती हैं तो वह उन्हें सामान्यतः अभिलिखित कर सकता है यथा नाम, आपत्तियों की विशिष्टियां और आपत्ति की प्रकृति।

(6) घोषणा की सत्यापित प्रति, पुष्टिकरण और रजिस्टर के उद्धरण ऐसे पक्षकार जिसने घोषणा दी हो, को या उसके अनुरोध पर उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) उपधारा (1) से (4) का उल्लंघन किये जाने पर उक्त धर्म संपरिवर्तन का प्रभाव अवैध और शून्य हो जायेगा।

10—(1) यदि कोई संस्था या संगठन इस अध्यादेश के उपबंधों का अतिक्रमण करता है तो यथास्थिति, उस संस्था या संगठन के मामलों का प्रभारी व्यक्ति या व्यक्तिगण धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित दण्ड के अध्याधीन होगा/होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण, इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कृत निर्देश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

किसी संस्था या संगठन द्वारा अध्यादेश के उपबंधों का अतिक्रमण किये जाने पर दण्ड

(2) राज्य सरकार इस अध्यादेश के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाली संस्था या संगठन को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान उपबंधित नहीं करेगी।

11—जब अध्यादेश के अधीन कोई अपराध कारित किया जाय, तब अपराध के कारित करने में निम्नलिखित प्रत्येक व्यक्ति सहभागी हुआ समझा जायेगा/सहभागी हुई समझी जायेगी और वह अपराध का दोषी होगा/होगी और उसे इस प्रकार आरोपित किया जायेगा, मानों वह वास्तव में उक्त अपराध कारित किया हो/की हो, अर्थात्:-

अपराध के पक्षकार

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो वास्तव में ऐसा कृत्य करता/करती है, जिससे अपराध संरचित होता है;

(दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में सक्षम बनाने या सहायता करने के प्रयोजन से कोई कृत्य करता/करती है या करने का लोप करता/करती है;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित करने में अन्य व्यक्ति की सहायता करता/करती है या उसे दुष्प्रेरित करता/करती है;

(चार) कोई व्यक्ति, जो अपराध कारित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता/देती है, विश्वास दिलाता/दिलाती है या उपाप्त करता/करती है।

12—इस तथ्य के सबूत का भार कि कोई धर्म संपरिवर्तन दुर्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के माध्यम से या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नहीं है, उस व्यक्ति पर, जिसने धर्म संपरिवर्तन कराया है और जहाँ ऐसा धर्म संपरिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा सुकर बनाया गया हो वहाँ ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।

सबूत का भार

13—(1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हो कर सकती है, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, इसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

14-राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

### अनुसूची-एक

घोषणा पत्र [धारा 8 की उपधारा (1) देखें]

एक धर्म से दूसरे धर्म में आशयित संपरिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला .....

उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मैं.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....

.....धर्म.....से .....धर्म.....में संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान निष्पादित करने का/की इच्छुक हूँ, एतद्वारा, धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित आशयित धर्म संपरिवर्तन की सूचना देता/देती हूँ:

1. व्यक्ति का नाम जिसका धर्म संपरिवर्तन होना है.....
2. नाम:
  - (क) जिस व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन होना है उसके पिता .....
  - (ख) जिस व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन होना है उसकी माता .....
3. धर्म संपरिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति का पता .....  
 भवन संख्या .....वार्ड संख्या .....  
 मोहल्ला ..... गांव ..... तहसील.....जिला.....
4. आयु ..... (जन्मतिथि) .....
5. लिंग.....
6. व्यवसाय और मासिक आय .....
7. विवाहित या अविवाहित .....
8. धर्म संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम.....
9. यदि कोई अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम व पूरा पता.....
10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और यदि ऐसा है तो ऐसी जाति के विवरण .....
11. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम जहां धर्मान्तरण अनुष्ठान किया जाना आशयित है भवन संख्या ..... वार्ड संख्या.....मोहल्ला.....ग्राम.....  
 .....जिला.....

12. धर्म संपरिवर्तन का दिनांक .....
13. धार्मिक पुजारी:.....
- (एक) नाम, अर्हता और अनुभव.....
- (दो) पता .....

**सत्यापन**

मैं, ..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

**अनुसूची-दो**

नोटिस पत्र [धारा 8 की उपधारा (2) देखें]

एक धर्म से दूसरे धर्म में आशयित संपरिवर्तन के संबंध में धार्मिक पुजारी द्वारा नोटिस

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला.....

उत्तर प्रदेश

महोदय,

मैं.....पुत्र.....निवासी.....

.....एतद्वारा धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित धर्म.....से धर्म.....में आशयित संपरिवर्तन के लिए नोटिस प्रस्तुत करता/करती हूँ जो निम्नवत् हैं:-

1. व्यक्ति का नाम जिसका धर्म संपरिवर्तन होना है.....

2. नाम:

(क) धर्म संपरिवर्तित किये जाने वाले/वाली व्यक्ति का पिता .....

(ख) धर्म संपरिवर्तित किये जाने वाले/वाली व्यक्ति की माता .....

3. धर्म संपरिवर्तित किए जाने वाले/वाली व्यक्ति का पता.....

भवन संख्या .....वार्ड संख्या .....

मोहल्ला.....गांव.....तहसील.....जिला.....

4. आयु ..... (जन्मतिथि)

5. लिंग.....

6. व्यवसाय और मासिक आय .....

7. विवाहित या अविवाहित .....

8. धर्म संपरिवर्तित किये जाने वाले/वाली व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम .....

9. यदि अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हों, का नाम व पूरा पता .....
10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और ऐसा है, तो ऐसी जाति के विवरण .....
11. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम, जहाँ धर्म संपरिवर्तन अनुष्ठान किया जाना आशयित हो  
भवन संख्या .....वार्ड संख्या.....मोहल्ला.....ग्राम.....  
.....जिला.....
12. धर्म संपरिवर्तन की तिथि.....
13. धार्मिक पुजारी:.....  
(एक) नाम, अर्हता और अनुभव.....  
(दो) पता .....

#### सत्यापन

मैं, ..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

#### अनुसूची-तीन

घोषणा पत्र (धारा 9 देखें)

एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन के संबंध में सूचना

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला.....

उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मैं.....पुत्र.....निवासी.....

.....एतद्वारा धारा 9 द्वारा धर्म.....से धर्म.....में संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान सम्पादित कर लिए जाने सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करता/करती हूँ, जो निम्नवत् हैं:-

1. धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति का पूरा नाम:

(1) धर्म संपरिवर्तन के पूर्व.....

(2) धर्म संपरिवर्तन के पश्चात् (यदि नाम परिवर्तित किया गया हो).....

2. नाम:

(क) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति का पिता .....

(ख) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति की माता .....

3. धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति का पता .....

भवन संख्या .....वार्ड संख्या .....मोहल्ला .....

गांव .....तहसील.....जिला.....



4. आयु ..... (जन्मतिथि)
5. लिंग.....
6. व्यवसाय और मासिक आय .....
7. विवाहित या अविवाहित .....
8. धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम .....
9. यदि अवयस्क हो, संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम व पूरा पता .....
10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, यदि ऐसा है, तो जाति के विवरण .....
11. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम, जहाँ धर्म संपरिवर्तन अनुष्ठान सम्पन्न हुआ हो...  
भवन संख्या ..... वार्ड संख्या.....मोहल्ला.....  
ग्राम.....जिला.....
12. धर्म संपरिवर्तन का दिनांक .....
13. धार्मिक पुजारी:.....  
(एक) नाम, अर्हता और अनुभव.....  
(दो) पता .....
14. धार्मिक पुजारी से भिन्न कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों के नाम, पते एवं अन्य विवरण (धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से सम्बन्ध, यदि कोई हो), जिनके द्वारा धर्म संपरिवर्तन अनुष्ठान में भाग लिया गया हो:  
(1).....  
(2).....

**सत्यापन**

मैं, ..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

साक्षी:(1).....

साक्षी:(2).....

दिनांक .....

स्थान .....

आनंदीबेन पटेल,  
राज्यपाल,  
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
अतुल श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

No. 2069/LXXIX-V-1-2020-2(ka)-22-2020

Dated Lucknow, November 27, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhi Virudh Dharma Samparivartan Pratishedh Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 21 of 2020) promulgated by the Governor. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION OF  
RELIGION ORDINANCE, 2020  
(U.P. ORDINANC NO. 21 OF 2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy First Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

*to provide for prohibition of unlawful conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage and for the matters connected therewith or incidental thereto.*

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him/her to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title, extent  
and  
commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020.

(2) It shall extend to whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Allurement**" means and includes offer of any temptation in the form of -

(i) any gift, gratification, easy money or material benefit either in cash or kind;

(ii) employment, free education in reputed school run by any religious body; or

(iii) better lifestyle, divine displeasure or otherwise;

(b) "**Coercion**" means compelling an individual to act against his/her will by the use of psychological pressure or physical force causing bodily injury or threat thereof;

(c) "**Conversion**" means renouncing one's own religion and adopting another religion;

(d) "**Force**" includes a show of force or a threat of injury of any kind to the person converted or sought to be converted or to any other person or property;

(e) "**Fraudulent means**" includes impersonation of any kind, impersonation by false name, surname, religious symbol or otherwise;

(f) "**Mass Conversion**" means where two or more persons are converted;

(g) "**Minor**" means a person under eighteen years of age;

(h) "Religion" means any organized system of worship pattern, faith, belief, worship or lifestyle, as prevailing in India or any part of it, and defined under any law or custom for the time being in force;

(i) "Religion Convertor" means person of any religion who performs any act of conversion from one religion to another religion and by whatever name he is called such as Father, Karmkandi, Maulvi or Mulla etc.;

(j) "Undue influence" means the unconscientious use by one person of his/her power or influence over another in order to persuade the other to act in accordance with the will of the person exercising such influence.

(k) "Unlawful Conversion" means any conversion not in accordance with law of the land.

3. No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from one religion to another by use or practice of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage nor shall any person abet, convince or conspire such conversion:

Provided that, if any person reconverts to his/her immediate previous religion, the same shall not be deemed to be a conversion under this Ordinance.

4. Any aggrieved person, his/her parents, brother, sister, or any other person who is related to him/her by blood, marriage or adoption may lodge a First Information Report of such conversion which contravenes the provisions of section 3.

5. (1) Whoever contravenes the provisions of section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than one year but which may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees fifteen thousand;

Provided that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of a minor, a woman or a person belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall be not less than rupees twenty five thousand;

Provided further that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees fifty thousand.

(2) The Court shall also grant appropriate compensation payable by the accused to victim of said conversion which may extend maximum to rupees five lakh and shall be in addition to fine.

(3) Whoever having been previously convicted of an offence under this Ordinance is again convicted of an offence punishable under this Ordinance, shall be liable for every such subsequent offence to punishment not exceeding double the punishment provided therefor under this Ordinance.

6. Any marriage which was done for sole purpose of unlawful conversion or *vice-versa* by the man of one religion with the woman of another religion, either by converting himself/herself before or after marriage, or by converting the woman before or after marriage, shall be declared void by the Family Court or where Family Court is not established, the Court having jurisdiction to try such case on a petition presented by either party thereto against the other party of the marriage :

Provided that all the provisions of section 8 and 9 shall apply for such marriages to be solemnized.

Prohibition of conversion from one religion to another religion by misrepresentation, force, fraud, undue influence, coercion, allurement or marriage

Person competent to lodge First Information Report

Punishment for contravention of provisions of section 3

Marriage done for sole purpose of Unlawful Conversion or *vice-versa* to be declared void

Offences to be non-bailable and cognizable

7. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all the offences under this Ordinance shall be Cognizable and non-bailable and triable by the Court of Sessions.

Declaration before conversion of religion and pre-report about conversion

8. (1) One who desires to convert his/her religion, shall give a declaration in the form prescribed in Schedule-I at least sixty days in advance, to the District Magistrate or the Additional District Magistrate specially authorized by District Magistrate, that he wishes to convert his/her religion on his/her own and with his/her free consent and without any force, coercion, undue influence or allurement.

(2) The religious convertor, who performs conversion ceremony for converting any person of one religion to another religion, shall give one month's advance notice in the form prescribed in Schedule-II of such conversion, to the District Magistrate or any other officer not below the rank of Additional District Magistrate appointed for that purpose by the District Magistrate of the district where such ceremony is proposed to be performed.

(3) The District Magistrate, after receiving the information under sub-sections (1) and (2), shall get an enquiry conducted through police with regard to real intention, purpose and cause of the proposed religious conversion.

(4) Contravention of sub-section (1) and/or sub-section (2) shall have the effect of rendering the proposed conversion, illegal and void.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but may extend to three years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees ten thousand.

(6) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year, but may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees twenty five thousand.

Declaration post conversion of religion

9. (1) The converted person shall send a declaration in the form prescribed in Schedule-III within sixty days of the date of conversion, to the District Magistrate of the District in which converted person resides ordinarily.

(2) The District Magistrate shall exhibit a copy of the declaration on the notice board of the office till the date of confirmation.

(3) The said declaration shall contain the requisite details, *i.e.*, the particulars of the convert such as date of birth, permanent address, and the present place of residence, father's/husband's name, the religion to which the convert originally belonged and the religion to which he has converted, the date and place of conversion and nature of process gone through for conversion.

(4) The converted individual shall appear before the District Magistrate within 21 days from the date of sending/filing the declaration to establish her/his identity and confirm the contents of the declaration.

(5) The District Magistrate shall record the factum of declaration and confirmation in a register maintained for this purpose. If any objections are notified, he may simply record them, *i.e.*, the name and particulars of objectors and the nature of objection.

(6) Certified copies of declaration, confirmation and the extracts from the register shall be furnished to the parties, who gave the declaration to his/her authorized legal representative on his/her request.

(7) The contravention of sub-sections (1) to (4) shall have the effect of rendering the said conversion illegal and void.

10. (1) If any institution or organization violates the provisions of this Ordinance, the person or persons in charge of the affairs of the organization or the institution, as the case may be, shall be subject to punishment as provided under section 5 and the registration of the organization or the institution under any law for the time being in force may be cancelled by competent authority upon reference made by District Magistrate in this regard.

Punishment for violation of provisions of Ordinance by an institution or organization

(2) State Government shall not provide any financial aid or grant to such institution or organization violating the provisions of this Ordinance.

11. When an offence is committed under this Ordinance, each of the following shall be deemed to have taken part in committing the offence and shall be guilty of the offence, and shall be charged as if he has actually committed the said offence, that is to say,-

Parties to offence

- (i) every person who actually does the act which constitutes the offence;
- (ii) every person who does or omits to do any act for the purpose of enabling or aiding another person to commit the offence;
- (iii) every person who aids or abets another person in committing the offence;
- (iv) any person who counsels, convinces or procures any other person to commit the offence.

12. The burden of proof as to whether a religious conversion was not effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage, lies on the person who has caused the conversion and, where such conversion has been facilitated by any person, on such other person.

Burden of proof

13. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by order published in the *Official Gazette*, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as appear to it, to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before both the Houses of State Legislature.

14. The State Government may, by notification in the *Official Gazette*, make rules for carrying out the provisions of this Ordinance.

Power to make rules

**SCHEDULE - I**

Form of Declaration [see sub-section (1) of section 8]

**Intimation regarding intended conversion from one religion to another**

To,

The District Magistrate  
District .....  
Uttar Pradesh

Sir,

I.....s/o,d/o.....r/o .....  
intend to perform necessary ceremony for conversion from.....  
religion to.....religion, do hereby, give intimation of intended conversion as  
required by sub-section (1) of section 8:

1. Name of the person to be converted.....

2. Name of the :
- (a) Father of the person to be converted.....
- (b) Mother of the person to be converted.....
3. Address of the person to be converted.....
- House No. .... Ward No. .... Mohalla.....
- Village..... Tahsil..... District.....
4. Age .....(DOB)
5. Sex.....
6. Occupation and monthly income .....
7. Whether married or unmarried.....
8. Name of persons, if any, dependent upon the person to be converted .....
9. If any minor , name and full address of the guardian, if any.....
10. Whether belong to Schedule Caste or Schedule Tribe and if so, particulars of such caste.....
11. Name of the place where the conversion ceremony is intended to take place with full details-
- House No..... Ward No..... Mohalla.....
- Village..... District .....
12. Date for Conversion.....
13. Religious priest:
- (i) Name, qualification and experience.....
- (ii) Address .....

#### VERIFICATION

I, .....do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature .....

Date.....

Place.....

#### SCHEDULE-II

Form of notice [see sub-section (2) of section 8]

#### Notice by the religious priest regarding intended conversion from one religion to another

To,

The District Magistrate

District.....

Uttar Pradesh

Sir,

I.....s/o, d/o .....r/o.....do hereby, give notice as required by Sub-section (2) of section 8 for intended conversion from.....religion to .....religion and particulars of aforesaid intended conversion are as below:

1. Name of the person to be converted.....
2. Name of the:
- (a) Father of the person to be converted.....
- (b) Mother of the person to be converted.....

3. Address of the person to be converted  
 House No..... WardNo.....Mohalla.....  
 Village.....Tahsil.....District.....  
 .....
4. Age.....(DOB)
5. Sex.....
6. Occupation and monthly income.....
7. Whether married or unmarried.....
8. Name of persons, if any, dependent upon the person to be converted.....
9. If a minor, name and full address of the guardian, if any.....
10. Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such Caste.....
11. Name of the place where the conversion ceremony is intended to take place with full details  
 House No.....Ward No. ....  
 Mohalla.....Village.....District.....
12. Date for conversion.....
13. Religious priest:  
 (i) Name, qualification and experience.....  
 (ii) Address .....

**VERIFICATION.**

I, .....do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature .....

Date.....

Place.....

**SCHEDULE-III**

Form of Declaration (see section 9)

**Intimation regarding conversion from one religion to another**

To,

The District Magistrate  
 District.....  
 Uttar Pradesh

Sir,

I.....s/o, d/o.....r/o .....having performed the necessary ceremony for conversion from.....religion to.....religion, do hereby, give intimation of the conversion as required by Section 9 as under:

1. Full Name of the person converted:

(1) before conversion-----

(2) after conversion ( if the name is changed).....

2. Name of the:

(a) Father of the person converted.....

(b) Mother of the person converted.....

## 3. Address of the person converted

House No.....Ward No.....Mohalla.....

Village.....Tahsil.....District.....

4. Age.....(DOB)

5. Sex.....

6. Occupation and monthly income.....

7. Whether married or unmarried.....

8. Name of persons, if any, dependent upon the person converted .....

9. If a minor, name and full address of the guardian, if any .....

10. Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such Caste.....

11. Name of the place where the conversion ceremony has taken place with full details House

No.....Ward.....Mohalla.....

Village.....District.....

12. Date of conversion.....

13. Religious priest:

(i) Name, qualification and experience.....

(ii) Address .....

14. Names, addresses and other particulars (relationship with the person converted, if any) of at least two persons other than religious priest who had taken part in the conversion ceremony:

(1).....

(2).....

**VERIFICATION**

I,..... do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief nothing has been concealed.

Signature.....

Witness: (1).....

Witness: (2).....

Date.....

Place.....

ANANDIBEN PATEL,

Governor,

Uttar Pradesh.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 383 राजपत्र-2020-(874)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 167 सा० विधायी-2020-(875)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।